संख्या- 311/2025//1016/41-1-2025-CN-1881235-2024

प्रेषक,

सजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०म०, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2025

विषय जनपद अयोध्या में सरयू आरती घाट पर वाटर स्क्रीन कार्य परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-133443/6-1-1/-अयोती०वि०प० (41)/2025, दिनांक 24 मार्च, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या में सरयू आरती घाट पर वाटर स्क्रीन कार्य परियोजना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत जनपद अयोध्या में सरयू आरती घाट पर वाटर स्क्रीन कार्य परियोजना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-134/3171/41-1-2024-सी०एन०-1881235-2024, दिनांक 20.02.2025 को एतद्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-134/3171/41-1-2024-सी०एन०-1881235-2024, दिनांक 20.02.2025 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 100.00 लाख (रू० एक करोड मात्र) को मय ब्याज सहित 03 दिन के अन्दर राजकोष में जमा कराकर उसकी सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी, अयोध्या।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, अयोध्या ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, तखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10 उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या ।
11. विन्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in